(1) पंजीकरण की शर्तेः

1. तक्षक स्ववित्त पोषित योजना 2005 में कोई भी भारतीय नागरिक आवास आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है।

2. तक्षक स्ववित्त पोषित योजना 2005 के अन्तर्गत जयपुर शहर में पंजीकृत आवेदक, जिसे आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया गया है, अपना विकल्प दे सकेगा। इस योजना में अपंजीकृत आवेदन कर सकता है। पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष की वरिष्ठता के क्रमानुसार आरक्षण/आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। पंजीकृत आवेदकों के आवेदन के पश्चात यदि आवास शेष रहते हैं तो अपंजीकृत आवेदकों की वरिष्ठता आय वर्गानुसार लाटरी से निर्धारित की जावेगी।

3. इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों और उपलब्ध आवासों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षण लॉटरी के पश्चात अतिरिक्त आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि तुरन्त लौटा दी जावेगी।

4. तक्षक स्ववित्त पोषित योजना 2005 के अन्तर्गत जमा कराई जाने वाली पंजीकरण राशि का उल्लेख परिशिष्ट 'ब' में दिया गया है।

5. तक्षक स्ववित्त पोषित योजना 2005 में आवेदक एक बार जिस उच्च आय वर्ग 'अ' एवं 'ब' का विकल्प देगा, उसे अंतिम माना जावेगा तथा उसमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। आवेदक इस योजना में केवल एक ही श्रेणी का विकल्प दे सकेगा।

6. तक्षक स्ववित्त पोषित योजना 2005 में आवेदन करते समय पूर्व पंजीकृत आवेदक अपने वर्तमान आय वर्ग से एक आय वर्ग ऊपर का विकल्प दे सकेगा, परन्तु आय वर्गानुसार सूची का निर्धारण करते समय वर्षवार वरिष्ठताक्रम में मूल आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

7. इस योजना में परिशिष्ट 'ब' के अनुसार जो आवास उपलब्ध हैं उनके आवेदकों की वरीयता सूची पृथक–पृथक बनाई जावेगी तदनुसार आवासों का आवंटन किया जावेगा।

8. मण्डल द्वारा आवासों के आवंदन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निमंकित श्रेणीयों के लिये किया गया हैः–

क्र.सं.	**आवेदक की श्रेणी**	**आरक्षित कोटा**
1.	अनुसूचित जाति/जनजाति	14.00 प्रतिशत

2.	राजस्थान के सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	02.50 प्रतिशत
3.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाएं	03.00 प्रतिशत
4.	स्वतन्त्रता सैनानी	01.00 प्रतिशत
5.	विकलांक	01.50 प्रतिशत
6.	बोर्ड कर्मचारी	03.00 प्रतिशत
7.	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक	00.75 प्रतिशत
8.	एशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	00.50 प्रतिशत

नोट : आवंटन किये जाने वाले आवासों में से 40 प्रतिशत आवास वेतन भागी वर्ग के आवेदकों (सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के व्यक्तियों) के लिये आरक्षित रखे जायेगें। 26.25 प्रतिशत आवास उपदशित सारिणी के अनुसार आरक्षित होंगे और शेष अनारक्षित होंगे। यदि आरक्षित कोटा के आवासों के लिये पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो इन्हें अनारिक्षत प्रवर्ग के लिये अन्तरित कर दिया जायेगा।

(2) लागत का भुगतानः

1. इस योजना में उच्च आय वर्ग 'अ' एवं उच्च आय वर्ग 'ब' हेतु पंजीकरण राशि क्रमशः रूपये 2,80,000/– एवं 2,20,000/– जमा करवानी होगी। शेष राशि चार सम–तिमाही किश्तों में आरक्षण पत्र जारी होने की दिनांक से जमा करवानी होगी। आवास का कब्जा, आरक्षण पत्र जारी होने की दिनांक से 18 माह में दिया जावेगा।

2. तक्षक स्ववित्त पोषित योजना 2005 के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कार्य 'डिपोजिट वर्क' की तरह ही होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई किश्त पर मण्डल द्वारा न तो कोई कब्जा दिया जायेगा और न ही मण्डल आवेदकों से ब्याज लेगा।

3. तक्षक स्ववित्त पोषित योजना 2005 में पंजीकरण कराने वाले पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी सम्पूर्ण पंजीकरण राशि में पंजीकरण कराने की तिथि से आरक्षण–पत्र जारी होने की तिथि तक ही ब्याज दिया जावेगा एवं स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि में पूर्व में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। जमा राशि पर ब्याज अन्त में कब्जा पत्र में सम्मिलित होगा।

(3) अन्य शर्ते हेतु मुल प्रपत्र देखें